सम्पादकीय

मोदी का मिशन कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 मार्च को कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जहां वह दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रैली को सम्बोधित करेंगे, विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री वैसे तो हर राज्य में जाकर चुनावों का शंखनाद कर रहे हैं लेकिन अनंतनाग की रैली कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के चुनाव अभियान की शुरूआत का प्रतीक मानी जा रही है। इससे पहले 20 फरवरी को जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया था। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें हैं। इनमें से दो सीटें जम्मू संभाग में और दो सीटें कश्मीर घाटी में पड़ती हैं। पांचवीं सीट जम्मू और कश्मीर के मध्य पड़ती हैं, जिसमें दोनों संभागों के क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। इस सीट का नाम अनंतनाग-राजौरी सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जम्मू और उधमपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग सीट पर अपना परचम लहराया था। ऐसे में इस बार अनंतनाग-राजौरी सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ताकत लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू में कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू-कश्मीर के व्यापक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा और उनकी सरकार कश्मीर घाटी को ऐसे पर्यटक स्थल में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सके। उनकी सरकार कश्मीर में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करेगी कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव आया है और अब राज्य आर्थिक रूप से गुलजार हो रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजरें अब प्रधानमंत्री के दौरे पर लगी हुई हैं कि वह जम्मू-कश्मीर को नई दिशा देने के लिए क्या विजन प्रस्तुत करते हैं। एक वो दिन थे जब जम्मू-कश्मीर में बम धमाकों और बंदूकों से चल रही गोलियों की आवाजें गूंजती थीं। निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही थीं। सुरक्षा बलों पर पथराव रोजमर्रा की बात बन गई थी। अलगाववाद का बोलबाला था लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने बड़े ही राजनीतिक कौशल से राज्य के विकास की राह में सबसे बड़ी दीवार अनुच्छेद 370 को एक ही झटके में गिरा दिया। जिसके बाद राज्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की ओर बढ़ा। पिछले वर्ष दिसम्बर में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जबकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो सदस्यों और पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर में नए परिसीमन के बाद राज्य का राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है। उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार को अधिकार और शक्ति है कि वो निर्वाचन आयोग की सहमति से परिसीमन आयोग यानी- डिलीमिटेशन कमीशन बना सकती है। इस बाबत केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग ही किया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में माता वैष्णो देवी सहित 90 सीटें होंगी।

वेदानुसार पांच प्रकार के यज्ञ करने से क्या होता है जानिए

ज्योतिषाचार्य पं.अविनाश मिश्र शास्त्री (चित्रकूटधाम)

1. ब्रह्मयज्ञ, 2. देवयज्ञ, 3. पितृयज्ञ, 4. वैश्वदेव यज्ञ, 5. अतिथि यज्ञ। उक्त पांच यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है।

? विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नासुव ।।

–यजुभावार्थ रू हे ईश्वर, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर दो और जो अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वे हमें प्रदान करो।श्यज्ञश् का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है– शुभ कर्म। श्रेष्ठ कर्म। सतकर्म। वेदसम्मत कर्म। सकारात्मक भाव से ईश्वर–प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। मांगो, विश्वास करो और फिर पा लो। यही है यज्ञ का रहस्य।

1.ब्रह्मयज्ञ– जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य। मनुष्य से बढ़कर है पितर, अर्थात माता–पिता और आचार्य। पितरों से बढ़कर हैं देव, अर्थात प्रकृति की पांच शक्तियां, देवी–देवता और देव से बढ़कर है– ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म। यहब्रह्म यज्ञसंपन्न होता है नित्य संध्यावंदन, स्वाध्याय तथा वेदपाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात श्ऋषि ऋणश् चुकता होता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है।

2.देवयज्ञ– देवयज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से सम्पन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यह भी संधिकाल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसे करने के नियम हैं। इससे श्देव ऋणश् चुकता होता है।हवन करने को श्देवयज्ञश् कहा जाता है। हवन में सात पेड़ों की समिधाएं (लकड़ियां) सबसे उपयुक्त होतीं हैं– आम, बड़, पीपल, ढाक, जांटी, जामुन और शमी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। रोग और शोक मिटते हैं। इससे गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है।

3.पितृयज्ञ– सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध और जिस कर्म से माता, पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। वेदानुसार यह श्राद्ध–तर्पण हमारे पूर्वजों, माता–पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ सम्पन्न होता है सन्तानोत्पत्ति से। इसी से श्पितृ ऋणश् भी चुकता होता है।

4.वैश्वदेवयज्ञ– इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। सभीप्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न–जल देनाही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौवे को दें। ऐसा वेद–पुराण कहते हैं।

5.अतिथि यज्ञ–अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना उन्हें अन्न–जल देना। अपंग,महिला, विद्यार्थी, संन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा–सहायता करनाही अतिथि यज्ञ है। इससे संन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है। यही सामाजिक कर्त्तव्य है।अंततरू उक्त पांच यज्ञों के ही पुराणों में अनेक प्रकार और उप–प्रकार हो गए हैं जिनके अलग–अलग नाम हैं और जिन्हें करने की विधियां भी अलग–अलग हैं किंतु मुख्यतरूयह पांच यज्ञ ही माने गए हैं।इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है किंतु इन्हें आज जिस रूप में किया जाता है पूर्णतरू अनुचित है। यहां लिखे हुए यज्ञ के अलावा अन्य किसी प्रकार के यज्ञ नहीं होते। यज्ञकर्म को कर्त्तव्य व नियम के अंतर्गत माना गया है।

ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, वैदिक अनुष्ठान व समस्त धार्मिक कार्यो के लिए संपर्क करें

श्री रामकृष्ण ज्योतिष केन्द्र श्रीरामकृष्णज्योतिष अनुष्ठान केन्द्र संपर्क सूत्र – 7389695052, 8085152180

भारत में गरीबी के 5 प्रतिशत से नीचे चले जाने का दावा गलत

डॉ. ज्ञान पाठक

नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस 2022-23) के प्रकाशन के ठीक बाद, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर गरीबी पर राजनीति शुरू कर दी गई है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि देश में गरीबी 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है, खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भारत का कुछ लोगों तक ही सीमितश् होने की बात गलत है। जो लोग एचसीईएस के विवरण के बारे में नहीं जानते, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि बीवीआर सुब्रमण्यम आखिर कह क्या रहे हैं। वह कह रहे हैं कि गरीब लोग वे हैं जो प्रति दिन 32 रुपये से कम कमाते हैं, और ऐसे लोगों का प्रतिशत 5 से भी कम होने की उम्मीद है। गरीबी रेखा के इस बेतुकी स्तर आलोचना पहले ही 2011-12 में हो चुकी है, और उस समय अधिकांश लोगों ने इसे खारिज कर दिया था, जब तत्कालीन योजना आयोग 32 रुपये प्रति दिन की कमाई पर गरीबी रेखा का विचार लेकर आया था। अब एक दशक बाद एक शीर्ष सरकारी अधिकारी का 32 रुपये की गरीबी रेखा पर आधारित तर्क दोगुना बेतुका है। यह तर्क देने के लिए उन्होंने हाल के 2022-23 सर्वेक्षण को आधार बनाया। इस दावे का उद्देश्य आगामी लोक सभा आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करना है, जब वह और भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास कर रहे होंगे, और वे मोदी राज में वृद्धि और विकास की कथा को आगे बढ़ा रहे होंगे। अधिकारी ने आगे कहा, श्अगर हम प्रतिदिन 32 रुपये पर जायें, जो कि 2011-12 की अंतिम स्वीकृत गरीबी रेखा थी, और तब से मुद्रास्फीति के रुझान को ध्यान में रखते हुए उस स्तर को दोगुना कर लगभग 60 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए, तो आप देखेंगे गरीबी 10 प्रतिशत से कम है।श् इसका मतलब है कि शीर्ष अधिकारी अपने पहले के दावे का खंडन करते हैं कि गरीबी रेखा 5 प्रतिशत से नीचे चली गई है, जो 2011-12 की कीमतों पर थी, लेकिन मौजूदा कीमतों पर यह 10 प्रतिशत से नीचे होगी। अब आइए एचसीईएस के अनुसार 2022-23 में विभिन्न वर्गों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) औसत पर आते हैं। श्री सुब्रमण्यम ने स्वयं नोट किया कि निचले 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के लिए औसत उपभोग स्तर 1373 रुपये था, जबकि अगले 5 प्रतिशत के लिए यह 1782 रुपये था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि यदि कोई व्यक्ति 1373 रुपये या 1782 रुपये प्रति माह पर भी जीवनयापन करता है तो वह गरीब कैसे नहीं है।हाल ही में नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने 11 फीसदी लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा था, पीएम मोदी ने दावा किया था कि उनके शासन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, जबकि सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनुमानित 81.4 करोड़ गरीबों में से 1.4 करोड़ गरीबों की पहचान करना बाकी है। इसमें प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले गरीबों की संख्या एक पहेली बनी हुई है। अब हम एचसीईएस 2022-23 परिणाम पर आते हैं। सर्वेक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। एचसीईएस 2011-12 में 347 आइटम थे, जबकि 2022-23 में कई नए आइटम जोड़े और कई हटा दिए गये। वर्तमान सर्वेक्षण में कुल मिलाकर 405 आइटम थे। एक प्रश्नावली के स्थान पर तीन प्रश्नावली का प्रयोग किया गया - 1. खाद्य पदार्थों पर 2. उपभोग्य सामग्रियों एवं सेवाओं की वस्तुओं पर, और 3. टिकाऊ वस्तुओं पर। इसके अतिरिक्त, घरेलू विशेषताओं के साथ-साथ घरों के सदस्यों के जनसांख्यिकीय विवरण पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक और प्रश्नावली थी। डेटा संग्रह का तरीका पेन-एंड-पेपर पर्सनल इंटरव्यू (पीएपीआई) से बदलकर कंप्यूटर-असिस्टेडपर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) कर दिया गया। सर्वेक्षण स्वयं चेतावनी देता है कि पिछले सर्वेक्षणों के साथ एचसीईएस 2022-23 के परिणामों की तुलना करते समय इन परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एमपीसीई के अनुमान, जिसके आधार पर श्री सुब्रमण्यम ने तर्क दिया है, में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त में प्राप्त और उपभोग की जाने वाली कई वस्तुओं की खपत की मात्रा पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक अलग अतिरिक्त प्रावधान भी है। नतीजतन, मुफ्त खाद्य पदार्थों और मुफ्त गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट, साइकिल, कपड़े, जूते (स्कूल जूते) आदि के मूल्य आंकड़े उचित विधि का उपयोग करके जोड़ दिये गये हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि एचसीईएस 2022-23 डेटा पहले के डेटा से अलग है जिसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है अन्यथा यह हमें लोगों की वास्तविक कमाई और उनकी गरीबी के बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंचा देगा। 2022-23 में औसत अनुमानित एमपीसीई ग्रामीण भारत में 3,773 रुपए शहरी भारत में 6,459 रुपये है। ग्रामीण लोग भोजन पर 46 प्रतिशत और गैर-खाद्य पर 54 प्रतिशत खर्च करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशरू 39 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है। एमपीसीई द्वारा रैंक किये गये भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई 1,373 रुपयेहै, जबकि यह शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी की जनसंख्या के लिए 2,001 रुपये। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशरू 10,501 रुपए और 20,824 रुपये है। यह अंतर बहुत गहरा है जो मोदी शासन में असमानता को दर्शाता है। 2022-23 के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खपत का स्तर 3773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6459 रुपये है। यह स्तर दर्शाता है कि औसत लोग अपनी कम कमाई के कारण बड़ी कठिनाई में हैं 2022-23 में औसत एमपीसीई में ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की हिस्सेदारी 4.91 प्रतिशत और खाद्य पदार्थों की 46.38 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में ये क्रमशरू 3.64 और 39.17 प्रतिशत हैं। यह जानकर निराशा हो सकती है कि लगभग 50प्रतिशत ग्रामीण आबादी का औसत एमपीसीई 3,094 रुपये से कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4,963 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष तीन फ्रैक्टाइल 80-90 प्रतिशत, 90-95 प्रतिशत और 95-100 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशरू 5356 रुपये, 6638 रुपये और 10,501 रुपये था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 9,582 रुपये, 12,399 रुपये और 20,824 रुपये था। सबसे कम उपभोग व्यय में फिर से असमानता देखी गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 0-5 प्रतिशत सबसे कम फ्रैक्टाइल में 1373 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 95-100 प्रतिशत उच्चतम फ्रैक्टाइल में 20,824 रुपये प्रति माह है। ऐसी असमानता स्वीकार्य नहीं है, भले ही हम ग्रामीण और शहरी उच्चतम और निम्नतम फ्रैक्टाइल की अलग-अलग तुलना करें। अनुसूचित जनजाति (एसटी) का औसत एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम 3,016 रुपये है, जबकि एससी के लिए यह 3,474 रुपये, ओबीसी के लिए 3,848 रुपये और अन्य के लिए 4,392 रुपये है। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम एमपीसीईएससी के लिए 5,307 रुपये है, जबकि एसटी के लिए 5,414 रुपये, ओबीसी के लिए 6,177 रुपये और अन्य के लिए 7,333 रुपये है। एमपीसीई के अनुमान के अनुसार, 2022-23 में मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों के साथ औसत अनुमानित एमपीसीई3,860रुपए ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में 6,521 रुपये था। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गये भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई1,441 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 2,087 रुपये था। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशरू 10,581 और 20,846 रुपये था। कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति की गई मुफ्त राशि के आधार पर गरीबी के स्तर को नकारना महज कुतर्क होगा, क्योंकि यह सिर्फ गरीबी को थोड़ा सहनीय बनाता है, लेकिन कमाई के स्तर को बढ़ाकर गरीबी को खत्म नहीं करता है। यह सिर्फ मुफ्तखोरी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपभोग स्तर को बढ़ाने की राजनीति है, केवल यह दावा करने के लिए कि गरीबी कम हो गई है, जो वास्तव में बेकारी और कम कमाई के स्तर के कारण बदतर होती जा रही है। बढ़ती कीमतों ने पहले से ही जीवनयापन की लागत का संकट पैदा कर दिया है।

फिनटेक क्रांति में बाधा बनती केंद्र सरकार

राहुल लाल

विवत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में फिनटेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ मासिक बैठक करे। फिनटेक कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहां नियमन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। भारत में मौजूदा वित्तीय प्रणाली के कमजोरी को देखते हुए फिनटेक महत्वपूर्ण हो सकते हैं,परंतु केंद्र सरकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति से फिनटेक को काफी नुकसान हो रहा है। इस संपूर्ण मामले को समझने के लिए आवश्यक है कि यह जानें कि आखिर श्फिनटेकश् किसे कहते हैं? फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नालॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रोद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन है। फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है,जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं में सुधार और स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण,बैंक टेक, इंश्योर टेक, क्रिप्टोकरेंसी आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं। हालांकि वर्तमान में फिनटेक के तहत कई अलग-अलग क्षेत्र और उद्योग जैसे -शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना और गैर लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि भी शामिल किये जाते हैं। वित्त का काम जोखिम और समय से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था की मदद करना है। भारत में वित्त सही रहे,इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि भौगोलिक और वर्ग की विविधता के साथ रहने वाले लोगों के जीवन को सही बनाने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं पर जोखिम उठाया जाए और नवाचार किया जाए। यह उस वित्तीय आर्थिक नीति को खारिज करता है, जहां सरकार और उसकी एजेंसियां उत्पादों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत नियंत्रण के साथ एक केंद्रीय नियोजन प्रणाली चलाती हैं। फिनटेक क्षेत्र में नियामकों को एक बारीक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और कोशिश होनी चाहिए कि बिना वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य से समझौता किए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण अंग बन सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिले। नवाचार के माध्यम से ही अत्यंत विविधता वाले अपने देश में वित्तीय प्रणाली को टेक्नालॉजी से जोड़कर आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। मौजूदा वित्तीय प्रणाली इसकी विविधता के साथ कदमताल नहीं कर पा रही है। वित्तीय आर्थिक नीति एक केंद्रीय नियोजन प्रणाली के रूप में तैयार की जाती है। उत्पादों, प्रक्रियाओं और सरकार नियंत्रित एकाधिकार ऊपर से थोपा जाता है। इसके बाद विशिष्ट भारतीय शैली के केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों से भी फिनटेक क्षेत्र में नवाचार की गुंजाइश घटती जा रही है। यह सही है कि नियामक भी फिनटेक कारोबार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों को समझने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि नियामक अभी फिनटेक अंशधारकों के साथ नियमित संवाद करता है, लेकिन एक औपचारिक व्यवस्था बन जाने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग से कहा है कि वे फिनटेक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक दिन की कार्यशाला का आयोजन करे,जहां वे अपनी चिंताएं सामने रख सकती हैं। परंतु सरकार के ये प्रयत्न मूलतरू खानापूरी वाली बात है। वास्तव में नियामक और सरकार दोनों अगर फिनटेक की चिंताओं को सुनकर नवाचार को बढ़ाने देने के लिए आवश्यक जरूरी समायोजन करें,तो बेहतर होगा। परंतु वर्तमान में इस संदर्भ में भी सरकार के कथनी और करनी में अंतर को देखा जा सकता है। सरकार ने केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन के अधीन एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, ताकि श्अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी)श् मानकों को एकरूप बनाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर केवाईसी मानक एक क्यों हों? विविधता और नवाचार के लिए इसमें भी अलग-अलग स्वरूपों को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? क्या इस कमिटी में सरकार ने फिनटेक व नवाचार वाले अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को स्थान दिया? सरकार अगर विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देती और समाधान का प्रयास करती, तो रास्ता निकलता, लेकिन कमिटी के उद्देश्य से ही स्पष्ट है कि नीति निर्माता केंद्रीयकृत व्यवस्था की सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्राहकों को जानने के मानकों में सुधार जरूर होना चाहिए,जिससे वित्तीय सेवा कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। परंतु इसके लिए इसके मानकों को ऐसा होना चाहिए, जो विविधताओं से सामंजस्य स्थापित कर सके। जब केंद्रीय प्रसंस्करण ईकाइयां सस्ती हो गई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रसार हुआ तो श्फिनटेक क्रांतिश् को लेकर काफी उम्मीदें कायम हो गई। ऐसी सोच थी कि बैंकों का काफी कामकाज नए तरह की टेक्नालॉजी आधारित फर्मों से किया जा सकता है। इन नए फर्मों से उनका कामकाज बेहतर तरीके से हो पाएगा और देश में बैंकिंग का दायरा थोड़ा सिकुड़ता जाएगा। उदाहरण के लिए गूगल जैसी टेक्नालॉजी दिग्गज आसानी से भुगतान कार्य कर सकते हैं, एक ऐसा कारोबार जो कभी बैंकों का आधार था। भारत के संदर्भ में फिनटेक क्रांति दो दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। प्रथम- बैंकिंग भारत में प्रणालीगत जोखिम का स्रोत रहा है और छोटी बैंकिंग प्रणाली स्थिरता को बढ़ाती है। दूसराकृमौजूदा बैंक नवाचार और ग्राहक सेवा के मामलों में कमजोर हैं। ऐसे में फिनटेक टेक्नालॉजी और नवाचार के माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था के आधार बन सकते हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय नियोजन प्रणाली का चयन कर फिनटेक को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया। नीति नियंता चाहते हैं कि श्फिनटेक कंपनियांश् बैंकों की सेवा प्रदाता बनकर ही रहें। भारतीय बैंकिंग के अफसरशाही चरित्र और बैंकिंग में उत्पादों एवं प्रक्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण की वजह से भारत में बैंक संरचनात्मक रूप से खोज की प्रक्रिया में जुड़ने में अक्षम ही हैं। भारतीय गैर बैंकिंग कंपनियां समय और जोखिम की ऐसी समस्याओं को समाधान करने में बेहतर तरीके से उभरी हैं। यहां नए फिनटेक कंपनियों की भूमिका हो सकती थी। परंतु एनबीएफसी के फंडिंग समस्याओं से फिनटेक भी प्रभावित हुआ। भारतीय बॉन्ड बाजार की सीमाएं एनबीएफसी के वित्त पोषण के रास्ते में अड़चन हैं। आमतौर पर नीति नियंताओं ने एनबीएफसी की कीमत पर बैंकों को प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान में देश में सक्रिय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों के अस्तित्व के लिए पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में फिनटेक की भूमिकाक्रांतिकारी हो सकती थी,जो उनके पूंजी की कमी को दूर कर सकती थी। कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर लघु उद्योगों को बैंकिंग जटिलताओं से मुक्ति मिल सकती है। परंतु वर्तमान में फिनटेक ही पूंजी की समस्या से ग्रस्त है। क्या फिनटेक कंपनियों ने रिजर्व बैंक के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है? यह चुनौती मूलतरू बदलते टेक्नालॉजी के साथ स्वाभाविक है। कुछ फिनटेक कंपनियों ने यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से भुगतान को सुगम बनाया है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण को सुगम बना रही है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता ऋण बहुत बढ़ गया। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने गत नवंबर में उपभोक्ता ऋण का जोखिम भार बढ़ा दिया। इसके पीछे विचार था असुरक्षित ऋण वृद्धि की गति को धीमा करना। अब समय आ गया है कि नियामक भी अपने कार्यशैली में समयानुसार परिवतर्न लाएं। उनके नियंत्रण शैली में केंद्रीयकरण न हो तथा नवाचार का प्रयोग उन्हें भी करने की जरूरत है।रिजर्व बैंक ने एल्गोरिदम आधारित ऋण में इजाफे को लेकर भी चिंता जताई है। अगर बिना समुचित जांच-परख के उपभोक्ता ऋण बढ़ाता है, तो इससे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों दोनों को दिक्कत हो सकती है। यह देखा गया है कि कुछ उपभोक्ता एक से अधिक प्लेटफार्म से ऋण लेने में सक्षम हैं। हालांकि यह संभव है कि फिनटेक उन उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हों, जो औपचारिक ऋण बाजार से बाहर हैं, लेकिन फिर भी तब तक सावधानी बरतना आवश्यक है जब तक कि इस पूरी प्रणाली और संभावित निष्कर्षों को अच्छी तरह समझ नहीं लिया जाता है। नवाचार और वृद्धि अनुमानों में संतुलन होना चाहिए, जिससे वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिल सके। वित्त सभी उद्यमों में सबसे अहम है। यह अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क है। फिनटेक क्रांति भारत के लिए काफी कुछ कर सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय आर्थिक नीति की मौजूदा केंद्रीकृत व्यवस्था में बदलाव किया जाए।

कानून को अपना रसूख दिखाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए

इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभावशाली लोग कानून को खिलौना समझ कर खेलते हैं और व्यवस्था भी उनके इस काम में खूब मददगार साबित होती है। बरसों बरस से देश में ऐसा ही चलता आ रहा है। सख्त से सख्त कानून बनाने और तमाम दूसरे उपायों के बाद भी रसूखदार कानून का आए दिन मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। कानून को बौन साबित करने वाली इस जमात को राजनीतिक संरक्षण हासिल होता है। ऐसे में धनबल और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये लोग व्यवस्था की कमियों और छिद्रों के चलते नियम कानूनों को आसानी से गच्चा देते हैं। आम आदमी की मामूली-सी गलती पर उसे पकड़ने में भरपूर तेजी दिखाने वाली पुलिस को प्रभावशाली और रसूखदार लोगों तक पहुंचने में वक्त लग ही जाता है। पश्चिम बंगाल में इसकी अवधि कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। संदेशखाली मामले से चौतरफा निंदा का पात्र बना तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख 55 दिनों से फरार रहने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है! लेकिन तब, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार को फटकार लगाई। यदि फटकार नहीं लगी होती तो उसे छुपाए रखा गया होता। वह जिस हनक और रूआब से थाने और अदालत में दाखिल हुआ, उससे यही लगा कि वह कोई शहंशाह है। पश्चिम बंगाल पुलिस उसके आगे दंडवत और सहमी-सी दिखी। उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, यह सच्चाई तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे निलंबित कर दिया। यह राजधर्म नहीं, बेशर्मी है कि उसे गिरफ्तार न करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या तक की गई। यदि ईडी को शक है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख की मदद कर सकती है तो यह स्वाभाविक है। बड़ी निर्लज्जता से तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने नेता का बचाव करती रही। संदेशखाली की महिलाओं ने जिन शब्दों में अपनी पीड़ा का बयान किया है, उससे किसी पत्थर दिल व्यक्ति का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। भारतीय जनता पार्टी के विरोध और हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अब तक आठ समन भेज चुका है। जांच एजेंसी के सामने पेश होने की बजाय केजरीवाल ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। वो कानूनी दांव पेंच से जांच से बच रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। चूंकि विधानसभा में दिए बयान पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी के चलते केजरीवाल ने विधानसभा को अपनी भड़ास निकालने और राजनीतिक विरोधियों पर मनगंढ़त आरोप लगाने का मंच बना रखा है। देश की जनता उनका तमाशा देख रही है। जिस शराब घोटाले में उनसे पूछताछ होनी है, उसी घोटाले में उनके सबसे खास साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ की रोटियां तोड़ रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह कानून और संविधान का उपहास उड़ा रहा है, उससे समाज में गलत उदाहण तो पेश हो ही रहा है। वहीं आम आदमी के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्यों कानून रसूखदारों सामने कमजोर और असहाय दिखाई देता है? केजरीवाल की तरह तेंलगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के समन की अवमानना करते रहे और खुद को बचाने के सारे यत्न उन्होने किये। बड़ी जद्दोजहद के बाद ईडी ने उन्हें अपने शिकंजे में लिया। फिलवक्त सोरेन जेल का भोजन पा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में सजा काट रहे राम रहीम को बार-बार पैरोल दिये जाने पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? रेप के दोषी राम रहीम को इस साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। यह लगभग 10 महीने में उसकी 7वीं और पिछले चार वर्षों में 9वीं पैरोल थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। सत्ता, व्यवस्था, कानून के रक्षक और संरक्षक के गठजोड़ से ही राम रहीम जैसे रसूखदार कानून को फुटबाल बनाकर खेलते हैं। जब तक सत्ता के गलियारों से आपराधिक लोगों को संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये निर्लज्जता बनी रहेगी। हरेक घटना में किसी न किसी रसूखदार का, किसी न किसी सत्ताधारी का संरक्षण दिखता रहा है। हर बार सत्ता की तरफसे कठोर से कठोर कार्यवाही किये जाने की बात कही जाती है, कुछ दोषियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है, जांच करवाए जाने की लीपापोती कर दी जाती है और उसके बाद सब कुछ भूल-भुला लिया जाता है। संदेशखाली जैसी घटनाएं कुछ दिन चर्चा में रहती हैं फिर जनमानस की खोपड़ी से गायब हो जाते हैं. निठारी कांड कितनों को याद है? बिहार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस कितनों को याद है? कितनों को उसके दोषी की सजा याद है? कुछ दिन बाद ऐसा ही संदेशखाली में को भी लेकर होगा। प्रभावशाली किस मामले में फंस भी जाते हैं तो उनके चेहरे, बॉडी लैग्वेंज, चेहरे से टपकते घमंड और अहंकार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनको कानून का रत्ती भर भी भय है।